"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च 2018—चैत्र 2, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

ra

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मंगतू राम देवांगन आत्मज श्री रामा देवांगन उम्र 35 वर्ष, निवासी-3/सी, सड़क नं 11, सेक्टर-8, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड, में मेरा व मेरे पिताजी का नाम मंगतू राम आ. रामा दर्ज है तथा मेरे परिचय पत्र में एम. आर. देवांगन आ. रामा दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरे पेन कार्ड व आधार कार्ड में मेरा सही नाम मंगतू राम देवांगन आ. श्री रामा देवांगन दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम मंगतू राम देवांगन (Mangtoo Ram Dewangan) आ. श्री रामा देवांगन (Shri Rama Dewangan) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे मंगतू राम देवांगन आ. श्री रामा देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
मंगतू राम (Mangtoo Ram) एम. आर. देवांगन (M. R. Dewangan) पिता-रामा (Rama) निवासी-3/सी, सड़क नं-11, सेक्टर-8, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	मंगतू राम देवांगन (Mangtoo Ram Dewangan) पिता-श्री रामा देवांगन (Shri Rama Dewangan) निवासी-3/सी, सड़क नं -11, सेक्टर-8, भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अम्बा साहू, ध. प. श्री छगन लाल, उम्र 21 वर्ष जाति-साहू (तेली), निवासी-ग्राम-पोण्डी, पोस्ट-टेकापार, तहसील व जिला बालोद (छ. ग.) की हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड परिचय पत्र व मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा सही व पूर्ण नाम अम्बा साहू दर्ज है, किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम अम्बा दर्ज है जो कि अपूर्ण है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम श्रीमती अम्बा साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती अम्बा साहू ध. प. श्री छगन लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अम्बा पिता-श्री चिन्ना साहू निवासी-ग्राम- जंजगिरी, चरोदा, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती अम्बा साहू पति-श्री छगन लाल निवासी-ग्राम- पोण्डी, पोस्ट-टेकापार, तह. व जिला-बालोद (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, घनश्याम वलेचा आत्मज श्री गोडुमल वलेचा, उम्र 51 वर्ष, निवासी-575, वार्ड नं.-21, सिंधिया नगर दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा सही व वास्तविक नाम घनश्याम वलेचा (GHANSHYAM VALECHA) आ. श्री गोडुमल वलेचा है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि में दर्ज है, किन्तु मेरी पुत्री कु. टीशा वलेचा कक्षा 9वीं की छात्रा है, उसके जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा घरेलू नाम दिलीप वलेचा दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपनी पुत्री के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों में अपना सही नाम घनश्याम वलेचा दर्ज करवाना चाहता हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कु. टीशा वलेचा आ. घनश्याम वलेचा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. टीशा वलेचा (Ku. Tisha Valecha) पिता-श्री दिलीप वलेचा (Shri Dilip Valecha) निवासी-575, वार्ड नं.-21, सिंधिया नगर दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	कु. टीशा वलेचा (Ku. Tisha Valecha) पिता-श्री घनश्याम वलेचा (Shri Ghanshyam Valecha) निवासी-575, वार्ड नं.-21, सिंधिया नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शैलेन्द्र कुमार ओग्रे आत्मज श्री शिवकुमार ओग्रे, उम्र 26 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी-बलौदा, वार्ड क्र.-2 तहसील व थाना बालौदा , जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र व बैंक पासबुक में मेरा नाम शैलेन्द्र कुमार आ. श्री शिवकुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम शैलेन्द्र कुमार ओरंगे आ. श्री शिव कुमार ओरंगे दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, किन्तु मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस आदि में मेरा सही व पूर्व नाम शैलेन्द्र कुमार ओग्रे आ. श्री शिवकुमार ओग्रे दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम शैलेन्द्र कुमार ओग्रे रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे शैलेन्द्र कुमार ओग्रे आ. श्री शिवकुमार ओग्रे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
शैलेन्द्र कुमार शैलेन्द्र कुमार ओरंगे पिता-श्री शिवकुमार ओरंगे निवासी-बलौदा, वार्ड क्र.-2 तह. व थाना-बालौदा , जिला- जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	शैलेन्द्र कुमार ओग्रे पिता-श्री शिवकुमार ओग्रे निवासी-बलौदा, वार्ड क्र.-2 तह. व थाना-बालौदा , जिला- जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हर्षिता आत्मजा श्री सुखराम बर्मन, उम्र 33 वर्ष, जाति सतनामी, स्थाई निवासी- ग्राम छपोरा, पोस्ट व थाना-बिलाईगढ़ तहसील बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार, भाटापारा (छ. ग.), अस्थाई पता-सिविल लाईन, ब्लाक कालोनी कसडोल, तहसील कसडोल, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम हुलसी आत्मजा श्री सुखराम बर्मन था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सभी आवश्यक दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज है. मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसडोल में कार्यरत हूं तथा मेरे सर्विस रिकार्ड में भी मेरा यही नाम दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम हर्षिता रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं

अतः अब मुझे हर्षिता आत्मजा श्री सुखराम बर्मन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
हुलसी पिता-श्री सुखराम बर्मन निवासी-स्थाई निवासी- ग्राम-छपोरा, पोस्ट व थाना-बिलाईगढ़, तहसील-बिलाईगढ़ जिला-बलौदाबाजार, भाटापारा (छ. ग.) अस्थाई निवासी-सिविल लाईन, ब्लाक कालोनी कसडोल, तहसील-कसडोल, जिला -बलौदाबाजार, भाटापारा (छ. ग.)	हर्षिता पिता-श्री सुखराम बर्मन निवासी-स्थाई निवासी- ग्राम-छपोरा, पोस्ट व थाना-बिलाईगढ़, तहसील-बिलाईगढ़ जिला-बलौदाबाजार, भाटापारा (छ. ग.) अस्थाई निवासी-सिविल लाईन, ब्लाक कालोनी कसडोल, तहसील-कसडोल, जिला -बलौदाबाजार, भाटापारा (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ. ग.)

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) और छत्तीसगढ़ न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

प्रकरण क्रमांक 01/अ-113 (1)/2017-18

मनेन्द्रगढ़ 23 जनवरी 2018

क्र.2362/वाचक-1/2018.—जबकि श्री आचार्य श्रीकांत त्रिपाठी पुत्र कृपाशंकर त्रिपाठी, निवासी म. सं. 545/1 कैमारवन, मथुरा, थाना कोतवाली वृन्दावन, तहसील मथुरा, जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश), प्रमोद कुमार अग्रवाल आ. आई. पी. अग्रवाल, उपाध्यक्ष, निवासी सेन्ट्रल हॉस्पिटल रोड मनेन्द्रगढ़ आमाखेरवा, जिला कोरिया (छ. ग.) सुश्री शीघ्रता त्रिपाठी, सचिव, निवासी म. न. 545/1 केमार वन वृन्दावन, वृन्दावन बांगर, मथुरा (उत्तरप्रदेश), श्याम बिहारी जायसवाल आ. काशीराम, सह सचिव, वार्ड नं. 10 मंदिरपारा नागपुर, जिला कोरिया (छ. ग.), राधाकांत त्रिपाठी आ. चंद्रप्रकाश त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष, निवासी म. सं. 1/106 कैलाश नगर वृन्दावन, मथुरा (उत्तरप्रदेश), गोविन्द राम अग्रवाल आ. आर. पी. अग्रवाल, सदस्य, निवासी मकान नं. 74, वार्ड नं. 16 गांधी वार्ड मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ. ग.), मुकेश अग्रवाल, सदस्य निवासी ज्योति भवन, विवेकानंद चौक मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ. ग.), रघुनाथ पोद्दार आ. वनवारीलाल, निवासी विवेकानन्द चौक वार्ड नं. 17 मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ. ग.), निरंजन मित्तल आ. प्रभूदयाल मित्तल, सदस्य, निवासी वार्ड नं. 21 अंबिकापुर रोड, नदीपार मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया
(छ. ग.), आनन्द कुमार सर्राफ आ. बनवारीलाल सर्राफ, सदस्य, निवासी वार्ड नं. 16 मेन मार्केट मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ. ग.), पद्म कुमार अग्रवाल, सदस्य, निवासी मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ. ग.) ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए एक आवेदन लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए किया है, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है. कि उक्त आवेदन 28-02-2018 के दिनांक पर मेरे द्वारा न्यायालय के विचारण में लिया जाएगा.

अत: मैं प्रदीप कुमार साहू अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया के अनुभाग मनेन्द्रगढ़ के लोक न्यासों का रजिस्ट्रार, अपने न्यायालय में दिनांक 28-02-2018 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करने की प्रस्थापना करता हूं.

किसी आपत्ति (या सुझाव) को करने का आशय रखते हुए उक्त न्यास या संपत्ति के मामले में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिगत अथवा वकील द्वारा या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास/ट्रस्ट का नाम व पता कार्यालय भारत में	:	मां श्याम सेवा आश्रम बाके बिहारी जी रोड अटल्ला चुंगी वृन्दावन, जिला मथुरा (उत्तरप्रदेश)
	छत्तीसगढ़ राज्य में	:	श्याम सेवा आश्रम ट्रस्ट, वार्ड क्रमांक 22 आमाखेरवा मनेन्द्रगढ़ में खसरा नं. 313/34 रकबा 0.019 हे./0.05 एकड़ (5 डिसमिल भूमि) प्रधान कार्यालय हेतु प्रस्तावित.
(2)	छत्तीसगढ़ में लोक न्यास की संपत्ति	:	निरंक.

प्रदीप कुमार साहू,
अनुविभागीय अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.